रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2019/कार्तिक 2, 1941
No. 632] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2019/KARTIKA 2, 1941

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 807(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारुप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 540(अ), तारीख 1 अगस्त, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 1 अगस्त, 2019 को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और उक्त प्रारुप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अत: अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 62 के उपनियम (1) के दूसरे परंतुक में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:--

"**सारणी**

क्रम सं.	मद	फिटमेंट की जांच	मूल उपस्कर सिफारिश के अनुसार बनावट या प्रकार रेटिंग आदि की जांच	स्थितियों की जांच	कार्य पद्धति की जांच	परीक्षण	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	अधिकतम गति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	वाहन को भार रहित स्थिति में (पूरी तरह से चार्ज और पूर्ण त्वरक की स्थिति में) सीधी या समतल सड़क पर चलाया जाएगा और जब वाहन अधिकतम गति पर होता है तो अधिकतम गति की गणना नियत दूरी (अर्थात् 50 मीटर) तय करने में लगने वाले समय के द्वारा की जाएगी"
2.	परावर्तक	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	यह सुनिश्चित किया जाना कि परावर्तक और रिफ्लेक्टिव टेप का रंग नियम 104 के अनुरुप है ।"

3. उक्त नियमों के नियम 104 में, --

(क) उप-नियम (1) में शब्दों "तीन पहिया वाहनों और" का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (1) के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) में शब्दों, अंकों और अक्षरों "1 अप्रैल, 2009 को और इसके पश्चात् विनिर्मित," का लोप किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (1) के खंड (iv) में शब्दों, अंकों और अक्षरों "1 अक्तूबर, 2009 को और इसके पश्चात् विनिर्मित," का लोप किया जाएगा;

(घ) उप-नियम (1) के लिए खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(v) ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित तीन पहिया वाहनों में वाहन की संपूर्ण चौड़ाई में फैली सामने की ओर सफेद परावर्तक टेप और पीछे की ओर लाल परावर्तक टेप लगाई जाएगी तथा सामने और पीछे की ओर लगाई गई टेपों की चौड़ाई 20 मिमी से कम नहीं होगी और तदनुरुपी बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक एआईएस:090-2005 के उपाबंध 4, 5 और 6 की अपेक्षा के अनुरुप होगी।";

4. उक्त नियमों के नियम 104घ में, शब्दों, अंकों और अक्षरों में "1 अप्रैल, 2015 को और इसके पश्चात् विनिर्मित," का लोप किया जाएगा;

5. उक्त नियमों के नियम 104घ में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 212(अ), तारीख 20 मार्च, 2015 द्वारा अंत:स्थापित "मॉडयूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप या परावर्तक और पीछे की चिह्नांकन प्लेट को लगाया जाना" नियम 10ड. के रुप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा ।

[फा. सं. आरटी–11028/18/2017-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 681(अ) तारीख 23.09.2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था ।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2019

G.S.R. 807(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 548(E), dated the 1st August, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 1st August, 2019;

AND whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short Title and commencement. -**(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2019.

 (2) They shall come into force on 1st day of April, 2020.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as said rules), in rule 62, in sub-rule (1), in the second proviso for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely: -

"TABLE

Sl. No.	Items	Check fitment	Check make or Type rating, etc., function as per original equipment recommendation	Check conditions	Check functioning	Test	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Maximum Speed	No	No	No	No	Yes	The vehicle shall be driven in unladen Condition (with full charge and at full accelerator position) on straight or flat road and when the vehicle attains full speed, the maximum speed shall be calculated by measuring time taken to travel fixed distance (say 50 metres).
2.	Reflectors	Yes	No	Yes	No	No	Ensure Colour of the reflectors and reflective tapes are as per rule 104.".

3. In the said rules, in rule 104,-

 (a) in sub-rule (1), the words "three wheelers and" shall be omitted;

 (b) in sub-rule (1), in clauses (i), (ii) and (iii), the words, figurers and letters "manufactured on and after 1st day of April, 2009," shall be omitted;

(c) in sub-rule (1), in clause (iv), the words, figurers and letters "manufactured on and after 1st day of October, 2009," shall be omitted;

(d) for sub-rule (1) after clause (iv) the following clause shall be inserted, namely.-

"(v) three wheeled vehicles including e-rickshaw and e-cart, shall be affixed at the front with a white reflective tape and at the rear with a red reflective tape running across the width of the body and the tapes affixed at the front and rear shall be not less than 20mm width and shall confirm to the requirement of Annexures 4, 5 and 6 of AIS:090-2005, till the corresponding BIS specification are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).";

(4) In the said rules, in rule 104D, the words, figurers and letters "manufactured on and after 1st day of April, 2015," shall be omitted.

(5) In the said rules, rule 104D relating to 'Fitment of retro-reflective tapes or reflectors and rear marking plate on modular hydraulic trailer' inserted *vide* notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways number, G.S.R. 212(E), dated the 20th March, 2015 shall be renumbered as rule 104E.

[F. No. RT-11028/18/2017-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 681(E) dated 23.09.2019**.**

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.24 22:32:07 +05'30'